कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

पत्रांकः 50/डी0डी0/फा0स0/मेरठ–17(ईको01)/443 दिनांकः अप्रैल 13 2017,

सेवा मे,

स्वामी/प्रबन्धक,
मैसर्स शेरवुड पब्लिक स्कूल,
बिलासपुर थाना दनकौर ग्रेटर नौएडा,
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स शेरवुड पब्लिक स्कूल, द्वारा बिलासपुर थाना दनकौर ग्रेटर नौएडा गौतमबुद्धनगर मे संचालित शैक्षणिक भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडी:2017/29109/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/6575 /डी0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भवन की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

जिसके अनुपालन मे प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओ का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक–1 ग्रेटर नौएडा श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 10–04–2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को प्रेषित की गई जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 11–04–2017 इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

1–कुल प्लाट एरिया–4892.40 वर्ग मी0।

2–निर्मित भूतल कवर्ड एरिया–1032.975 वर्ग मी0।

3–भवन की ऊँचाई–03.90 मीटर।

भवन का अधिभोगः–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एनबीसी–2005 की शैक्षणिक भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाएें:–

1–पहुँच मार्ग– भवन के सामने 12.00 मी0 चौडा रोड उपलब्ध है।

2–प्रवेश द्वारः–भवन में प्रवेश द्वार जिसकी चौडाई 04.50 मीटर मानको के अनुसार उपलब्ध है।

3–सैटबेक– प्रश्नगत भवन के सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–09.00 मी0 से अधिक खुला स्थान।

बी0–पृष्ठ भाग–06.00 मी0 से अधिक खुला स्थान।

सी0–पार्श्व भाग–प्रथम–06.80 मी0।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–07.803 मी0।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन एन0बी0सी0 एवं निर्माण विनियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध है, सैटबेक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निमार्ण कार्य मान्य नही होगा सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखें जायें।

4–निकास मार्गः– प्रश्नगत भवन भूतल तक निर्मित है, निकास मार्ग पर्याप्त है। तथा समस्त स्थानों से ट्रेवल डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन व्यवस्थाः–निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के सुसंगत मानको के अनुसार स्थापित पायी गयीः–

1–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):–भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित पाये गये।

2–एग्जिट साईनेजः– प्रश्नगत भवन मे एग्जिट साईनेज स्थापित है।

(उप निदेशक) मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर एवं अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक–01 ग्रेटर नौएडा की संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स शेरवुड पब्लिक स्कूल, द्वारा बिलासपुर थाना दनकौर ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर

स्व0 श्रीमती नथिया देवी मेमोरियल एजुकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसायटी

Manoj Kumar
सचिव

मे निर्मित एजुकेशनल भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के आधार पर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:–

1–भवन प्रबन्धक भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2–भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

4–भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5–प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6–विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध मे विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7–विद्यालय के ऐसे कक्ष जिनमे 01 दरवाजा है उनमे 45 से अधिक छात्र छात्रायें न बैठायें जायें।

8–वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

9–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

10–उक्त शर्तो का उल्लघंन पाये जाने की दशा मे निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक–सत्यापित मानचित्र।

(अमन शर्मा)
उप निदेशक, फायर सर्विस
मेरठ/सहारनपुर,परिक्षेत्र।

प्रतिलिपिः 1–संयुक्त निदेशक, (अधि/बजट) को सादर सूचनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक–01 ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

स्व० श्रीमती बथिया देवी मेमोरियल एजुकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसायटी
सचिव